

प्रेषक,

जिलाधिकारी,

सम्भल।

सेवा में,

कंसलटेन्ट (ज्यूडिशियल),

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,

नई दिल्ली।

संख्या:- 828 /जि0आ0प्र0प्रा0

दिनांक:- 19 जनवरी, 2024

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0-438/2023 में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक-01.12.2023 के अनुपालन में अनुदेश/आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओरिजनल एप्लीकेशन नं0-438/2023 में मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक-01.12.2023 पारित किया गया, जो निम्नवत है:-

1. The original application was registered suo moto on the basis of newspaper report in respect of an explosion in illegal fire cracker godown in District Sambal, Uttar Pradesh reported on 14.06.2023 in which four persons have died and seven were injured.
2. The Tribunal in the order dated 13.10.2023 had taken note of the fact that the reply and report placed on record did not disclose any compensation was paid to the injured or family members of the deceased persons, therefore, a direction was issued for personal appearance of District Magistrate, Sambhal through virtual mode.
3. Shri Manish Bansal, District Magistrate Sambhal is present through virtual mode and he has not denied the fact that till now, no compensation has been paid to the family members of the deceased or the injured persons. He has submitted that since the two of the deceased were family members of the person responsible for the explosion, 2 therefore, a clarification has been sought from the State Government, if compensation is payable in respect of death of those two persons. He submits that nine persons had received simple injuries but no medical reports of those nine persons have been placed on record. He has not disputed that the family members of the other two deceased persons are entitled for the compensation.
4. He has sought time to get the necessary clarification from the State Authorities as also to examine the judgment/orders of the Tribunal in the matters of Original Application No. 450/2022, In re: News item published in The Indian Express dated 05.06.2022 titled "12 dead in fire at Hapur factory that 'produced firecrackers illegally' : 'Saw people with burns jumping into drains'" and Original Application No. 44/2021, In re: News item published in The News Indian Express dated 12.02.2021 titled "At least 19 dead in Virudhunagar firecracker factory blast, more than 30 injured" in respect of payment of compensation to the family members of the victims in such incidents and has submitted that the entire process of finalization of the compensation will be completed within a period of one month from today.

5. Let the fresh report in terms of the observation and statement made above be submitted atleast one week before the next date of hearing by the District Magistrate, Sambhal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में तहसीलदार गुन्नौर, जनपद-सम्भल द्वारा अपने पत्र संख्या-1258/रा0नि0कार्या0/2023-24 दिनांक-14 जून, 2023 (संलग्नक-1) के माध्यम से अवगत कराया गया कि "दिनांक-13.06.2023 को समय लगभग सायं 6.00 बजे मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर में स्थित शाबिर अली पुत्र श्री अमीर बख्श के मकान में रखे पटाखे/आतिशबाजी में आग लगने से विस्फोट हो गया। धमाके में शाबिर अली का पूरा मकान गिर गया तथा आस-पास के कुछ मकानों में दरारें आ गई हैं। उक्त घटना में 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 09 व्यक्ति घायल हुए", जिनका विवरण निम्नवत है:-

घायल व्यक्तियों का विवरण		
क्र० सं०	नाम	पता
1	विनोद कुमार पुत्र सैमुअल	मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर
2	राजेश कुमार पुत्र सैमुअल	मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर
3	रवि कुमार पुत्र सैमुअल	मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर
4	मोनू उर्फ जसवन्त पुत्र कल्लू	मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर
5	प्रमोद पुत्र सत्यवीर	मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर
6	प्रवेश पुत्र देवेन्द्र	मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर
7	मैरीपॉल पुत्री जेम्स पॉल	मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर
8	सानू पुत्र चाँद	मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर
9	लवीव पुत्र नासिर	मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर

मृतक व्यक्तियों का विवरण		
क्र० सं०	नाम	पता
1	ओम पुत्र जसवन्त	मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर
2	गुड्डो पत्नी शाबिर	मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर
3	शिवईया पुत्री पप्पू	मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर
4	अनम पुत्री शाबिर	मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर

राहत आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-4807/रा0आ0का0/2023-24 दिनांक-17 नवम्बर, 2023 (संलग्नक-2), जो जिलाधिकारी मथुरा को सम्बोधित है तथा जिसकी प्रतिलिपि समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को प्रेषित की गयी है, के प्रस्तर-02 में उल्लिखित किया गया है कि:-

"राज्य आपदा मोचक निधि की गाइडलाइन में "Fire" को राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता प्रदान करने हेतु आपदा के रूप में उल्लिखित किया गया है। भारत सरकार की गाइडलाइन में आग के कारणों के आधार पर राहत देने हेतु विभेद नहीं किया गया है, गाइडलाइन में "Fire" शब्द उल्लिखित है।

इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में आपदा की परिभाषा "disaster means a catastrophe, mishap calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or manmade causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life of human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity

of the community of the affected." के अनुसार अग्निकांड की सभी घटनाओं में (हत्या या आत्महत्या छोड़कर) मृतक के परिवार को गहत राशि दिया जाना नियमसंगत है।

उक्त के क्रम में सभी प्रकार के अग्निकाण्ड (गैस सिलेण्डर फटने/फैक्ट्री में आग/ज्ञात अथवा अज्ञात कारण से/दुर्घटनावश/अन्य कारणों से लगने वाली आग या किसी भी स्थान में लगने वाली आग) से होने वाली जनहानि (हत्या/आत्महत्या छोड़कर) के सापेक्ष राज्य आपदा मोचक निधि के मानकों के अनुरूप पीड़ित परिवार को राहत सहायता प्रदान की जायेगी। जनहानि की दशा में आवासीय या अनावासीय क्षेत्र में विभेद न करते हुए मृतक के परिवार को अहैतुक सहायता प्रदान की जाएगी।

राहत आयुक्त महोदय उत्तर प्रदेश के उपरोक्त पत्र संख्या-4807/रा0आ0का0/2023-24 दिनांक-17 नवम्बर, 2023 के क्रम में उक्त घटना में पीड़ित परिवार को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु कार्यालय पत्र संख्या-265/जि0आ0प्र0प्रा0/2023 दिनांक-22 नवम्बर, 2023 (संलग्नक-3) के माध्यम से शासन स्तर से बजट की मांग की गयी तथा इसी क्रम में कार्यालय उप जिलाधिकारी गुन्नौर के आदेश संख्या:- 1638(i)/रा0नि0का0(कार्या0)/दौ0आ0/2023-24 दिनांक:-29.11.2023 (संलग्नक-4) द्वारा उक्त चारों मृतकों के परिजनों को प्रति मृतक 04 लाख रुपये के हिसाब से 16 लाख रुपये व उक्त घटना में हुई मकान क्षति हेतु 1,20,000/- रुपये अर्थात कुल 17,20,000/- रुपये की अहैतुक सहायता धनराशि लाभार्थियों को उनके खाते में अन्तरित किये जाने की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की गयी:-

क्रं0 सं0	मृतक का नाम	हित धारक का नाम/पिता का नाम/निवास स्थान	खाता संख्या	आई एफ एस सी कोड	बैंक का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	ओम	जसवन्त पुत्र सुन्दरी निवासी मौ0-सराय कस्बा गुन्नौर	0669001700079568	PUNB0066900	पंजाब नेशनल बैंक	4,00,000/00 (चार लाख रू0 मात्र)
2	गुड्डो/मकान क्षति ग्रस्त	शाजेब पुत्र शाबिर व शयमा पुत्री शाबिर निवासी मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर	0669001501151577	PUNB0066900	पंजाब नेशनल बैंक	4,00,000/00 (चार लाख रू0 मात्र) 1,20,000/00 (एक लाख बीस हजार रुपये मात्र)
3	अनम	शाजेब पुत्र शाबिर व शयमा पुत्री शाबिर निवासी मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर	0669001501151577	PUNB0066900	पंजाब नेशनल बैंक	4,00,000/00 (चार लाख रू0 मात्र)
4	शिवइंया	नसीम पत्नी पप्पू निवासी मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर	33823574410	SBIN0002689	स्टेट बैंक	4,00,000/00 (चार लाख रू0 मात्र)
<b>योग</b>						<b>17,20,000/00</b> (सतरह लाख बीस हजार रुपये मात्र)

प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में थाना-गुन्नौर, जनपद-सम्भल में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-218 दर्ज है (संलग्नक-5), जिसमें शाबिर अली अभियुक्त है। उपरोक्त सूची में क्रमांक-02 तथा 03 पर अंकित क्रमशः मृतक

गुड्डो पत्नी शाबिर अली व मृतक अनम पुत्री शाबिर अली को, शाबिर अली के अभियुक्त होने की दशा में उनके परिजनों को अहेतुक सहायता राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु अपर मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-10 को कार्यालय पत्र संख्या-271/जि0आ0प्र0प्रा0/2023-24 दिनांक-02 दिसम्बर, 2023 (संलग्नक-6) प्रेषित किया गया तथा उपरोक्त सूची के क्रमांक-01 तथा 04 पर अंकित मृतक क्रमशः ओम पुत्र जसवन्त तथा शिवइंया पुत्री नसीम के पीड़ित परिवारों को रूपये आठ लाख (चार-चार लाख दोनों परिवारों को) की सहायता राशि प्रदान कर दी गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पत्र संख्या-300/जि0आ0प्र0प्रा0/2023-24 दिनांक-05 जनवरी, 2024 (संलग्नक-7) द्वारा उप जिलाधिकारी गुन्नौर, जनपद-सम्भल तथा सहायक श्रमायुक्त, जनपद-सम्भल से इस सम्बन्ध में आख्या की अपेक्षा की गयी कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा OA संख्या 450/2022 में पारित आदेश दिनांक-12.07.2022 के प्रस्तर-06 में उल्लिखित Workmen's Compensation Act, 1923 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रकरण में क्या कोई मुआवजा बनता है? जिसके क्रम में उप जिलाधिकारी गुन्नौर, जनपद-सम्भल द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या-3028/एस0टी0/202-24 दिनांक-06 जनवरी, 2024 (संलग्नक-8) द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि "घटना स्थल पर कोई पंजीकृत/वैध कारखाना नहीं है इसलिए उक्त 09 घायल व्यक्तियों में कोई व्यक्ति श्रमिक/कर्मकार नहीं है। इस कारण कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत कोई मुआवजा देय नहीं है।" तथा सहायक श्रमायुक्त सम्भल द्वारा अपने पत्र संख्या-49-51 दिनांक-05.01.2024 (संलग्नक-9) तथा पत्र संख्या-63-65/स0शि0 दिनांक-06.01.2024 (संलग्नक-10) के माध्यम से क्रमशः 04 मृतकों तथा 09 घायलों के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गयी आख्या के अनुसार घायल व मृतकों में कोई व्यक्ति श्रमिक/कर्मकार नहीं है, इसलिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम-1923 के अन्तर्गत आवर्त नहीं होते तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई मुआवजा देय नहीं है।

उप जिलाधिकारी गुन्नौर के पत्र 3029/एस0टी0/2023-24 दिनांक-06 जनवरी, 2024 (संलग्नक-11) के द्वारा तहसीलदार गुन्नौर व अवर अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जनपद-सम्भल के माध्यम से करायी गयी स्थलीय जांच के आधार पर अपनी आख्या प्रेषित की गयी है, जिसके अनुसार घटना स्थल पर शाबिर अली का मकान गिरने से 100 प्रतिशत की क्षति हुई है तथा अन्य आस पास के मकानों में दरार आ गई है, जिसकी क्षति 15 प्रतिशत से कम है। उल्लेखनीय है कि सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-11 के पत्र संख्या-1-11099/59/2022 दिनांक-13.10.2022 (संलग्नक-12) के द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एन0डी0आर0एफ0) से सहायता हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए संशोधित मदों की सूची एवं मानकों की संशोधित दरों के अनुसार राहत प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त पत्र के साथ संलग्न सूची के क्रम संख्या-09 में वर्णित व्यवस्था निम्नवत है:-

a) Fully damaged/destroyed houses and severly damaged houses	Rs. 1,20,000/- per house, in plain areas Rs. 1,30,000/- per house, in hilly areas
i) Pucca house	
ii) Kutcha house	
b) Partially Damaged Houses (Other than huts) where the damage is at least 15%	Rs. 65,00/- per house
i) Pucca house	Rs. 4,000/- per house
ii) Kutcha house	

जैसा कि उप जिलाधिकारी गुन्नौर की उक्त आख्या से स्पष्ट है कि प्रश्नगत घटना में शाबिर अली का मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था, जिसके लिए कार्यालय उप जिलाधिकारी गुन्नौर के आदेश संख्या:- 1638(i)/रा0नि0का0(कार्या0)/दौ0आ0/2023-24 दिनांक:-29.11.2023 द्वारा रू. 1,20,000/- के भुगतान की स्वीकृति दी जा चुकी है, जो शासन के मार्गदर्शन के क्रम में अभी लम्बित है। इसके अतिरिक्त घटना स्थल के आस-

पास के मकानों की क्षति 15 प्रतिशत से कम है, ऐसी दशा में सम्बन्धित मकान के स्वामियों को उक्त व्यवस्था के क्रम में कोई मुआवजा देय नहीं है।

पूर्व में उप जिलाधिकारी गुन्नौर द्वारा अवगत कराया गया था कि घायल व्यक्तियों को सामान्य प्रकार की चोटें आई थीं, परन्तु मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रश्रुत प्रकरण में पारित आदेश दिनांक-01.12.2023 के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या-302/जि0आ0प्र0प्रा0/2023-24 दिनांक-05 जनवरी, 2024 (संलग्नक-13) द्वारा उप जिलाधिकारी गुन्नौर, जनपद-सम्भल तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद-सम्भल से उक्त घटना में घायल व्यक्तियों के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर आख्या आहूत की गयी:-

- 1- घायल व्यक्तियों की चोटें किस श्रेणी की थीं?
- 2- घायल व्यक्ति कितने दिन स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती रहे?
- 3- क्या इस घटना से कोई व्यक्ति दिव्यांग हुआ है या घायल व्यक्ति के किसी अंग की पूर्ण क्षति हुई है?
- 4- समस्त घायलों की चिकित्सीय आख्या (Medical Report) उपलब्ध करायें।

उक्त के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद-सम्भल द्वारा घायल व्यक्तियों के सम्बन्ध में निम्नानुसार सूचना/आख्या दिनांक-09.01.2024 (संलग्नक-14) उपलब्ध करायी गयी है:-

Sr. No.	Name and Add.	Age	Sex	Disease	Remark	Admit	Injury Type
1	Vinod Kumar S/O Samual	50	M	Blast/Burn Injury	Distt. Hospital	Distt. H. Sambhal 2 days Panna lala H. 5 days	Normal
2	Rajesh S/O Samual	45	M	Blast/Burn Injury	Refer to JNMC Aligarh	JNMC Aligarh 1 day Mannat 7 days	Serious
3	Ravi Kumar S/O Samual	35	M	Blast/Burn Injury	Distt. Hospital Sambhal	Distt.H. 2 days panna lal H. 5 days	Serious
4	Monu Urf Jaswant S/O Kallu	06	M	Blast/Burn Injury	Refer to Aligarh	JNMC Aligarh 15 days	Serious
5	Pramod S/O Satyaveer	30	M	Blast/Burn Injury	Not refer	-	Normal
6	Pravesh S/O Devendra	15	M	Blast/Burn Injury	Not refer	-	Normal
7	Mery Paul D/O James Paul	27	F	Blast/Burn Injury	Distt. Hospital	Distt. Hospital 2 days	Normal
8	Sanu S/O Chand	28	M	Blast/Burn Injury	Refer to Higher Center	GTB 3 days URBAN 3 days AIIMS 15 days	Serious
9	Labib S/O Nasir	45	M	Blast/Burn Injury	Not refer	-	Normal

उक्त के अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-गुन्नौर, जनपद-सम्भल तथा उप जिलाधिकारी, गुन्नौर द्वारा पत्र संख्या-3030/एस0टी0/2023-24 दिनांक-06 जनवरी, 2024 (संलग्नक-15) के माध्यम से घायल व्यक्तियों के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार उपरोक्त सभी वर्णित 09 घायल व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं है।

सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-11 के पत्र संख्या-1-11099/59/2022 दिनांक-13.10.2022 के द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि (एस0डी0आर0एफ0) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एन0डी0आर0एफ0) से सहायता हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए संशोधित मदों की सूची एवं मानकों की संशोधित दरों के अनुसार राहत प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त पत्र के साथ संलग्न सूची के क्रम संख्या-01 में वर्णित व्यवस्था निम्नवत है:-

Grievous injury requiring hospitalization	Rs. 16,000/- per person requiring hospitalization for more than a week. Rs. 5400/- per person requiring hospitalization for less than a week.
---	--

उक्त व्यवस्था के क्रम में उप जिलाधिकारी गुन्नौर, जनपद-सम्भल द्वारा अपने कार्यालय आदेश संख्या-1750/रा.नि.का0 (कार्या)/दौ0आ0/2023-24 दिनांक-09 जनवरी, 2024 (संलग्नक-16) के माध्यम से पात्र घायल व्यक्तियों को अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृत करते हुए निम्नानुसार भुगतान कर दिया गया है:-

क्र० सं०	घायल का नाम/पिता का नाम/निवास स्थान	खाता संख्या	आई.एफ.एस. सी. कोड	बैंक का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	रवि कुमार पुत्र जोर्च एच-सेमुअल निवासी मौ० सराय कस्बा गुन्नौर	35630100012538	BARB0GU NNAU	बैंक ऑफ बड़ौदा	16,000/00 (सोलह हजार रूपये मात्र)
2	राजेश कुमार पुत्र जोर्च एच-सेमुअल निवासी मौ० सराय कस्बा गुन्नौर	31889694257	SBIN00026 89	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	16,000/00 (सोलह हजार रूपये मात्र)
3	विनोद कुमार पुत्र जोर्च एच-सेमुअल निवासी मौ० सराय कस्बा गुन्नौर	93332250001595	SYNB00093 33	सिंडिकेट बैंक	16,000/00 (सोलह हजार रूपये मात्र)
4	मैरी पॉल पुत्री जैम्स पॉल निवासी मौ० सराय कस्बा गुन्नौर	93332200026776	SYNB00093 33	सिंडिकेट बैंक	16,000/00 (सोलह हजार रूपये मात्र)
5	मोनू उर्फ जसवन्त पुत्र श्री कल्लू निवासी मौ० सराय कस्बा गुन्नौर	0669001700079548	PUNB00669 00	पंजाब नेशनल बैंक	5400/00 (पाँच हजार चार सौ रू० मात्र)
6	शानू पुत्र चाँद निवासी मौ० सराय कस्बा गुन्नौर	110044800825	CNRB00193 33	केनरा बैंक	16,000/00 (सोलह हजार रूपये मात्र)
योग					85400/00 पिच्चासी हजार चार सौ रू० मात्र

प्रश्नगत घटना में मृतक तथा घायल व्यक्तियों के घटना स्थल पर उपस्थित रहने के कारणों के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या-301/जि0आ0प्र0प्रा0/2023-24, दिनांक-05 जनवरी, 2023 (संलग्नक-17) द्वारा उप जिलाधिकारी गुन्नौर से आख्या की अपेक्षा की गयी। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी गुन्नौर द्वारा अपने कार्यालय

पत्र संख्या-3029/एस0टी0/2023-24 दिनांक-06 जनवरी, 2024 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार प्रश्नगत घटना में मृतक और घायल व्यक्ति घटना स्थल के आसपास रहने/पड़ोसी होने के कारण उपस्थित थे। घटना स्थल पर कोई पंजीकृत वैध कारखाना नहीं था। मृतकों या घायलों में कोई घटना स्थल पर कार्यरत मजदूर नहीं था।

उक्त घटना पटाखों के अवैध रूप से भण्डारण के कारण घटित हुई है, जिसके सम्बन्ध में थाना-गुन्नौर, जनपद-सम्भल में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या-218/2023 सम्बन्धित धाराओं में दर्ज है तथा विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

सहायक श्रमायुक्त सम्भल द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार घायल व मृतकों में कोई व्यक्ति श्रमिक/कर्मकार नहीं है, इसलिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम-1923 के अन्तर्गत आवर्त नहीं होते तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत कोई मुआवजा देय नहीं है।

जैसा कि पूर्व प्रस्तर में उल्लिखित किया गया है कि उपरोक्त घटना में मृतक गुड्डो पत्नी शाबिर अली व मृतक अनम पुत्री शाबिर अली को, शाबिर अली के अभियुक्त होने की दशा में उनके परिजनों को अहेतुक सहायता राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-10 को कार्यालय पत्र संख्या-271/जि0आ0प्र0प्रा0/2023-24 दिनांक-02 दिसम्बर, 2023 प्रेषित किया गया है। वांछित मार्गदर्शन प्राप्त न होने की दशा में अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-10 को पुनः पत्र संख्या-295/जि0आ0प्र0प्रा0 दिनांक-02 जनवरी, 2023 (संलग्नक-18) प्रेषित किया गया है। वांछित मार्गदर्शन प्राप्त होते ही मृतक गुड्डो पत्नी शाबिर अली व मृतक अनम पुत्री शाबिर अली के परिजनों को अहेतुक सहायता राशि प्रदान करने के सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार तथ्यों से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

  
(मनीष बंसल)  
जिलाधिकारी,  
सम्भल ।

## कार्यालय तहसीलदार, गुन्नौर(सम्भल)।

पत्रांक 1258 /रा0नि0कार्या0/2023-24.

दिनांक 14/08/2023

जलाधिकारी,  
सम्भल।

महोदय,

कृपया राजस्व निरीक्षक, गुन्नौर द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 14.08.2023 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनांक 13.08.2023 को समय लगभग सांय 08 बजे मौ0सराय कस्या गुन्नौर में स्थित शाबिर अली पुत्र श्री अमीर वख्या के मकान में रखे पटाखे/आतिशबाजी में आग लगने से विस्फोट हो गया धमाके के शाबिर अली का पूरा मकान गिर गया तथा आस-पास के कुछ मकानों में दरारें आ गई है उक्त घटना में 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 09 व्यक्ति घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मृतक एवं घायलों की सूची संलग्नक सहित आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

14-08-23  
तहसीलदार,  
गुन्नौर।



# राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश

द्वितीय तल, शास्त्री भवन, ४० प्र० सचिवालय, लखनऊ

Contact-0522-2238200, 2237515 Email: rahat@nic.in



33

संख्या- 4809/रा०आ०का०/2023-24

प्रेषक,

राहत आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
मथुरा।

दिनांक- 17 नवम्बर, 2023

विषय:-अग्निकांड से होने वाली जनहानि के सापेक्ष त्वरित राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया आपके पत्र संख्या-1025/ओ०एस०डी०/2023 दिनांक 16.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद की तहसील मांट में दिनांक 12.11.2023 को आतिशबाजी बाजार से अग्निकाण्ड से 14 व्यक्तियों के घायल होने, जिनमें से 05 व्यक्तियों की मृत्यु की सूचना के क्रम में तत्काल राहत सहायता वितरित किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य आपदा मोचक निधि की गाइडलाइन में "Fire" को राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता प्रदान करने हेतु आपदा के रूप में उल्लिखित किया गया है। भारत सरकार की गाइडलाइन में आग के कारणों के आधार पर राहत देने हेतु विभेद नहीं किया गया है, गाइडलाइन में "Fire" शब्द उल्लिखित है।

इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 में आपदा की परिभाषा "'disaster' means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected." के अनुसार अग्निकांड की सभी घटनाओं में (हत्या या आत्महत्या छोड़कर) मृतक के परिवार को राहत राशि दिया जाना नियमसंगत है।

उक्त के क्रम में सभी प्रकार के अग्निकाण्ड (गैस सिलेण्डर फटने/फैक्ट्री में आग/ज्ञात अथवा अज्ञात कारण से/दुर्घटनावश/अन्य कारणों से लगने वाली आग या किसी भी स्थान में लगने वाली आग) से होने वाली जनहानि (हत्या या आत्महत्या छोड़कर) के सापेक्ष राज्य आपदा

मोचक निधि के मानकों के अनुरूप पीड़ित परिवार को राहत सहायता प्रदान की जायेगी। जनहानि

A-D M | Disaster Expert

DC (आपदा)

दाता

१३/११/२३

**राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश**  
द्वितीय तल, शास्त्री भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ

Contact-0522-2238200, 2237515 Email: rahat@nic.in



दशा में आवासीय या अनावासीय क्षेत्र में विभेद न करते हुए मृतक के परिवार को अर्हतुक  
हायता प्रदान की जाएगी।

भवदीय,

(जी०एस० नवीन कुमार)  
राहत आयुक्त।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
2. विशेष सचिव, राजस्व अनुभाग-10 एवं 11, उ०प्र० शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।

*Aaditi Umrao*

(अदिति उमराव)  
परियोजना निदेशक।

सेवा में,

सचिव एवं राहत आयुक्त,  
राजस्व अनुभाग-10,  
उत्तर प्रदेश।

संख्या:- 265 /जि0आ0प्र0प्रा0/2023

दिनांक:- 22 नवम्बर, 2023

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2023-24 में अग्निकाण्ड से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि के अन्तर्गत अनुदान संख्या-51, लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ती के कारण राहत, 05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड, 800-अन्य व्यय, 06-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय, 07-अग्निकाण्ड से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय" के अन्तर्गत जनपद-सम्भल को शासनादेश संख्या-564/एक-10-2023-33(36)/2023 टीसी राजस्व अनुभाग-10 दिनांक-18.04.2023 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अग्निकाण्ड से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से अंकन 4.50 लाख रुपये आवंटित कर उपलब्ध कराये गये थे, जिसमें से अंकन 10,500/- रुपये अग्निकाण्ड से प्रभावित व्यक्तियों को भुगतान किया गया है। वर्तमान में जनपद-सम्भल में उक्त मद में 4,39,500/- रुपये अवशेष हैं।

उल्लेखनीय है कि दिनांक-13.06.2023 को समय लगभग सायं 06 बजे मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर में स्थित शाबिर अली पुत्र श्री अमीर बख्श के मकान में रखे पटाखे/आतिशबाजी में आग लगने से विस्फोट हो गया था। धमाके में शाबिर अली का पूरा मकान गिर गया तथा आस-पास के कुछ मकानों में दरारें आ गई हैं। उक्त घटना में 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 09 व्यक्ति घायल हुए हैं।

तदक्रम उक्त मृतक 04 व्यक्तियों के परिवार को अहैतुक सहायता प्रदान किये जाने हेतु 04 लाख रुपये प्रति मृतक के हिसाब से कुल 16 लाख रुपये व मकान क्षति हेतु 1,20,000/- रुपये अर्थात् कुल 17,20,000/- की आवश्यकता होगी। वर्तमान में उपलब्ध धनराशि 4,39,500/- रुपये को सम्मिलित करने के पश्चात् कुल 12,80,500/- रुपये की धनराशि की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

उक्त के क्रम में सादर अनुरोध है कि उपर्युक्त मद में जनपद-सम्भल को कुल 13,00,000/- रुपये आवंटित कर उपलब्ध कराने की कृपा करें।

भवदीय


22/11/23

(प्रदीप वर्मा)

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),

जनपद-सम्भल। A9

Item No.07

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No.438/2023

In re: News item published in India Today dated 14.06.2023 titled "2  
**minors among 4 killed as explosion rocks illegal firecracker  
godown in UP, owner held**"

Date of hearing: 01.12.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON  
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Respondent: Mr. Manish Bansal, District Magistrate, Sambhal (Through VC)  
Mr. Gigi. C. George, Adv. for Joint Controller of Explosives  
Mr. Arvind Kumar, Adv. for UPPCB (Through VC)

**ORDER**

1. The original application was registered *suo moto* on the basis of newspaper report in respect of an explosion in illegal fire cracker godown in District Sambal, Uttar Pradesh reported on 14.06.2023 in which four persons have died and seven were injured.
2. The Tribunal in the order dated 13.10.2023 had taken note of the fact that the reply and report placed on record did not disclose any compensation was paid to the injured or family members of the deceased persons, therefore, a direction was issued for personal appearance of District Magistrate, Sambhal through virtual mode.
3. Shri Manish Bansal, District Magistrate Sambhal is present through virtual mode and he has not denied the fact that till now, no compensation has been paid to the family members of the deceased or the injured persons. He has submitted that since the two of the deceased were family members of the person responsible for the explosion,

therefore, a clarification has been sought from the State Government, if compensation is payable in respect of death of those two persons. He submits that nine persons had received simple injuries but no medical reports of those nine persons have been placed on record. He has not disputed that the family members of the other two deceased persons are entitled for the compensation.

4. He has sought time to get the necessary clarification from the State Authorities as also to examine the judgment/orders of the Tribunal in the matters of Original Application No. 450/2022, *In re: News item published in The Indian Express dated 05.06.2022 titled "12 dead in fire at Hapur factory that 'produced firecrackers illegally' : 'Saw people with burns jumping into drains"* and Original Application No. 44/2021, *In re: News item published in The News Indian Express dated 12.02.2021 titled "At least 19 dead in Virudhunagar firecracker factory blast, more than 30 injured"* in respect of payment of compensation to the family members of the victims in such incidents and has submitted that the entire process of finalization of the compensation will be completed within a period of one month from today.

5. Let the fresh report in terms of the observation and statement made above be submitted atleast one week before the next date of hearing by the District Magistrate, Sambhal by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

6. List this matter on 22.01.2024.

Prakash Shrivastava, CP



Sudhir Agarwal, JM

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

December 01, 2023  
Original Application No.438/2023  
SN

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)  
प्रथम सूचना रिपोर्ट  
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): सम्भल

P.S. (थाना): गुन्नौर

Year (वर्ष): 2023

FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0218

Date & Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 13/06/2023 23:30

2. S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	304
2	भा दं सं 1860	427
3	भा दं सं 1860	286
4	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908	3
5	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908	4
6	विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908	5

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day मंगलवार  
(दिन):

Date From 13/06/2023  
(दिनांक से):

Date To 13/06/2023  
(दिनांक तक):

Time Period पहर 6  
(समय अवधि):

Time From 17:45 बजे  
(समय से):

Time To 17:45  
(समय तक): बजे

4388  
2-12-23

Dis. expert

1

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
सम्भल।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
राजस्व अनुभाग-10,  
लखनऊ।

संख्या-271 / जि0आ0प्र0प्रा0 / 2023-24

दिनांक: 02 दिसम्बर, 2023

विषय- मार्गदर्शन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है उपजिलाधिकारी गुन्नौर, जनपद सम्भल के कार्यालय आदेश संख्या 1638(i) / रा0नि0का0(कार्या0) / दै0आ0 / 2023-24 दिनांक 28.11.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 13.06.2023 को मौहल्ला सराय कस्बा व तहसील गुन्नौर पटाखे के गोदाम में आग लग जाने के कारण शाबिर अली पुत्र अमीर बख्श का मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें दबकर 04 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी तथा 09 व्यक्ति घायल हो गये थे। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उनके घर भिजवा दिया गया था। मृतकों के नाम ओम पुत्र जसवन्त आयु 06 माह, गुड्डो पत्नी शाबिर आयु 40 वर्ष, शिवईयां पुत्री पप्पू आयु 12 वर्ष व अनम पुत्री शाबिर आयु 25 वर्ष है। राहत आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-4807 / रा0आ0का0 / 2023-24, दिनांक 17.11.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य आपदा मोचक निधि की गाईड लाईन में "Fire" को राज्य आपदा मोचक निधि से सहायता प्रदान करने हेतु आपदा के रूप में उल्लिखित किया गया है। भारत सरकार की गाईड लाइन में आग के कारणों के आधार पर राहत देने हेतु विभेद नहीं किया गया है, गाईड लाइन में "Fire" शब्द उल्लिखित है। इसके अतिरिक्त आपदा अधिनियम-2005 में आपदा की परिभाषा "disaster" means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man-made causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected" के अनुसार अग्निकाण्ड की सभी घटनाओं में (हत्या या आत्महत्या छोड़कर) मृतक के परिवार को राहत राशि दिया जाना नियमसंगत है।

उक्त घटना के सम्बन्ध में शाबिर अली के विरुद्ध थाना गुन्नौर में दिनांक 13.06.2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 0218 (अर्न्तगत भा0द0स0 1860 धारा 304, 427 व 286 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 धारा 3, 4 व 5) भी दर्ज है, जिसमें शाबिर अली अभियुक्त है। उक्त प्राथमिकी की तहरीर में निम्नवत उल्लिखित है "कि आतिशबाजी घनी आवादी क्षेत्र में बनाने व भण्डारण करने का लाईसेन्स तलब किया तो किसी प्रकार का लाईसेन्स नहीं दिखा और न ही किसी भी प्रकार की कोई किसी विभाग द्वारा जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र दिखा सका मैं यहा स्कूल में छिपकर बैठ गया था। इस प्रकार उपरोक्त शाबिर अली द्वारा ऐसा कार्य किया है जिससे 04 लोगों की जान चली गयी तथा 08 लोग गम्भीर रूप से घायल हुये हैं तथा आस-पास के लोगों की सम्पत्ति को काफी नुकसान हुआ है। इस प्रकार धन-जन की काफी हानि हुई है। अग्नियुक्त का यह कृत्य धारा 304/427/286 भादवि व 3/4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 दण्डनीय अपराध है।"

चूँकि मृतक गुड्डो पत्नी शाबिर अली व मृतक अनम पुत्री शाबिर अली निवासी मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर अभियुक्त के सगे सम्बन्धी हैं। इस हेतु दिशा-निर्देश देने का कष्ट करें कि क्या शाबिर अली के अभियुक्त होने की दशा में उपरोक्त दोनों मृतकों के परिजन को 04 लाख रुपये प्रति मृतक व विस्फोट से पूर्ण क्षतिग्रस्त मकान हेतु 1 लाख 20 हजार रुपये की अहेतुक सहायता राशि प्रदान की जा सकती है या नहीं?

उक्त के क्रम में राहत आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेश के पत्रांक-4807/रा0आ0का0/2023-24, दिनांक 17.11.2023 के द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि सभी प्रकार के अग्निकाण्ड (गैस सिलेण्डर फटने/फैक्टरी में आग/ज्ञात अथवा अज्ञात कारण से/दुर्घटना/अन्य कारणों से लगने वाली आग या किसी भी स्थान में लगने वाली आग) से होने वाली जनहानि (हत्या या आत्महत्या छोड़कर) के सापेक्ष राज्य आपदा मोचक निधि के मानकों के अनुरूप पीड़ित परिवार को राहत सहायता प्रदान की जायेगी। जनहानि की दशा में आवासीय या अनावासीय क्षेत्र में विभेद न करते हुए मृतक के परिवार को अहेतुक सहायता प्रदान की जायेगी।

अतः राहत आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 17.11.2023 के क्रम में उक्त घटना के परिप्रेक्ष्य में राहत राशि वितरण किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश देने का कष्ट करें।  
संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(मनीष बंसल)  
जिलाधिकारी  
सम्भल।१५

संख्या एवं तिथि उपरोक्त।

प्रतिलिपि-

- 1-राहत आयुक्त महोदय, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
- 2-विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-10, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

जिलाधिकारी  
सम्भल।१५

संख्या:- 358/रा0नि0/राज्या0/2023-24

दिनांक:- 15 जनवरी, 2024

1-उप जिलाधिकारी, गुन्नीर।

2-सहायक श्रम आयुक्त, जनपद-सम्भल।

कृपया अवगत कराना है कि तहसीलदार गुन्नीर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या- 358/रा0नि0/राज्या0/2023-24 दिनांक-14 जून, 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि "दिनांक- 3.06.2023 को समय लगभग सायं 06 बजे मौठ सारथ करना गुन्नीर में स्थित शाबिर अली पुत्र श्री अमीर बरका के मकान में रखे पटाखे/आतिशबाजी में आग लगने से विस्फोट हो गया। घमाके में शाबिर अली का पूरा मकान गिर गया तथा आस-पास के कुछ मकानों में दरारे आ गई है। उक्त घटना में 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 09 व्यक्ति घायल हुए हैं।"

तहसीलदार गुन्नीर द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त आख्या के अनुसार उक्त घटना में निम्न व्यक्ति घायल हुए थे:-

क्र०सं०	घायल व्यक्ति का विवरण
1	विनोद कुमार पुत्र सैमुअल
2	राजेश कुमार पुत्र सैमुअल
3	रवि कुमार पुत्र सैमुअल
4	मोनु उर्फ जसवन्त पुत्र कल्लू
5	प्रमोद पुत्र सत्यवीर
6	प्रवेश पुत्र देवेन्द्र
7	मेरी पॉल पुत्री जैम्स पॉल
8	सानू पुत्र चौद
9	लवीव पुत्र नासिर

उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय सम्भल द्वारा कतिपय विन्दुओं पर आख्या चाही गयी है, जिसके क्रम में आपको निर्दिष्ट किया जाता है, कि प्रश्रगत घटना के सम्बन्ध में निम्न विन्दु पर अपनी संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या लौटती डाक से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें:-

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा OA संख्या 450/2022 में पारित आदेश दिनांक-12.07.2022 के प्रस्तर-06 में उल्लिखित Workmen's Compensation Act, 1923 के अन्तर्गत प्रश्रगत प्रकरण में क्या कोई मुआवजा बनता है?

5/1/24  
(प्रदीप वर्मा)

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),

जनपद-सम्भल।



कार्यालय उप जिलाधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट,  
गुन्नौर-सम्भल(उ०प्र०)

☎ 9454415834 ✉ sdmgunnaur@gmail.com

पत्रांक-3028 / एस०टी० / 2023-24

दिनांक-06 जनवरी, 2024

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०),  
जनपद सम्भल।

महोदय,

कृपया, अपने पत्रांक-300/जि०आ०प्र०प्रा०/2023-24, दिनांक-05 जनवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत दिनांक-13-06-2023 को समय लगभग सायं 06 बजे मौ० सराय कस्बा गुन्नौर में स्थित शाबिर अली पुत्र श्री अमीर बख्श के मकान में रखे पटाखे/आतिशबाजी में आग लगने से हुए विस्फोट के कारण 04 मृतकों और 09 घायलों के सम्बन्ध में एक बिन्दु पर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्काल में तहसीलदार, गुन्नौर से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, गुन्नौर द्वारा निम्न बिन्दु अपनी आख्या दिनांक-06-01-2024(मूलरूप से संलग्न) उपलब्ध करायी गयी, जो निम्नवत् है-

- 1- राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा OA संख्या-450/2022 में पारित आदेश दिनांक-12-07-2022 के प्रस्तर-06 में उल्लिखित Workmens's Compensation Act, 1923 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रकरण में क्या कोई मुआवजा बनता है।

आख्या:-घटना स्थल पर कोई पंजीकृत/वैध कारखाना नहीं है इसलिए उक्त 09 घायल व्यक्तियों में कोई व्यक्ति श्रमिक/कर्मकार नहीं है। इस कारण कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत कोई मुआवजा देय नहीं है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सहायक श्रमायुक्त, सम्भल ने भी अपनी आख्या दिनांक-06-01-2023 में उल्लेख किया है कि उक्त दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति मौहल्ला सराय गुन्नौर के रहने वाले हैं और श्री साबिर अली के पड़ोसी थे। साबिर अली के यहाँ कार्य नहीं करते थे। उक्त घायल व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति श्रमिक/कर्मकार नहीं है, इसलिए कर्मकार अधिनियम-1923 के अन्तर्गत आर्हत नहीं होते हैं(आख्या की छायाप्रति संलग्न)।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

  
(रमेश बाबू)  
उप जिलाधिकारी, गुन्नौर  
जनपद-सम्भल।

महोदय,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सम्मल (बहजोई) के कार्यालय से प्राप्त पत्रांक 300/जि0आ0प्र0प्रा0/2023-24, दिनांक 05 जनवरी 2024 के पत्र द्वारा दिनांक 13.06.2023 को शाम 6:00 बजे मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर में स्थित साकिर अली पुत्र अमीर वख्श के मकान में रखे पटाखे/आतिशबाजी में आग लगने से हुए विस्फोट में मकान गिरने/फटने से घटना में 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 9 व्यक्ति घायल हुए थे।

घायल 9 व्यक्तियों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा OA संख्या 450/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के प्रस्तर 06 में उल्लिखित Workeres Compensation Act 1923 के अन्तर्गत प्रश्नगत प्रकरण में क्या कोई मुआवजा बनता है? के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है, के अनुपालन में सादर अवगत कराना है कि घटना स्थल पर कोई पंजीकृत/वैध कारखाना नहीं है इसलिए उक्त 9 घायल व्यक्तियों में कोई व्यक्ति श्रमिक/कर्मकार नहीं है इसलिए कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के अन्तर्गत कोई मुआवजा देय नहीं है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

Dr. M. C.  
06/07/2024  
सुनील कुमार  
सेवपाल  
पुनौर (सम्मल)

अध्यक्ष  
लेखपाल जॉन्स आख्या (गैर ले) के प्रतिनिधि  
06-07-2024  
R. L. B

महोदय,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सम्मल (बहजोई)

06/07/24  
721/15

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
संभल।

पत्रांक

49-51

दिनांक 05-01-2024

महोदय,

आप द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में जनपद संभल के मो० सराय, गुन्नौर में दिनांक 13.06.2023 को हुये श्री साविर अली पुत्र श्री अमीर वक्श व अन्य के पटाखा गोदाम में विस्फोट से मृत व्यक्तियों के संबंध में आख्या दिये जाने के क्रम में सादर अवगत कराना है कि श्रम प्रवर्तन अधिकारी संभल द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या में अवगत कराया है कि श्री साविर अली पुत्र अमीर वक्श व अन्य मो० सराय, गुन्नौर जनपद संभल द्वारा पटाखा बेचने का कार्य किया जाता रहा है। इनके द्वारा मो० सराय में एक किराये के मकान में पटाखा गोदाम बना रखा था। जिसमें दिनांक 13.06.2023 को सायं 5 बजे विस्फोट हो गया जिसमें 04 लोगों की मृत्यु हो गयी, जो निम्नवत् थे-

- 01-अनम पुत्री साविर अली उम्र-18 वर्ष, जो नियोजक की पुत्री थी।
- 02-गुड्डो पत्नी साविर अली उम्र-45 वर्ष, जो नियोजक की पत्नी थी।
- 03-सुमैया पुत्री पप्पू उम्र-14 वर्ष जो नियोजक के पडोसी थी।
- 04-ओम दत्त पुत्र जसवंत उर्फ मोनू उम्र-5 या 6 माह, श्री साविर अली के मोहल्ले के थे।

उक्त मृतकों में कोई व्यक्ति श्रमिक/कर्मकार नहीं है, इसलिये कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923 के अन्तर्गत आर्वात नहीं होते। (जांच आख्या संलग्न)।  
उपरोक्त आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

सहायक श्रमायुक्त,  
संभल।

पत्रांक  
प्रतिलिपि-

/उक्त

दिनांक

1. उप जिलाधिकारी, गुन्नौर, संभल को सूचनार्थ।
2. उप जिलाधिकारी (न्यायिक), गुन्नौर, संभल को सूचनार्थ।

सहायक श्रमायुक्त,  
संभल।

सहायक

जिलाधिकारी,  
संभल।पत्राक  
महोदय,

/स0शि0

दिनांक

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 300/जि0आ0प्रा0प्रा0/2023-24 का सम्बन्ध ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा श्री साविर अली पुत्र श्री अमीर बक्श के यहाँ हुई विस्फोट की दुर्घटना में घायल हुये व्यक्तियों के सम्बन्ध आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है श्रम प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनाय कुमार शर्मा द्वारा जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें अवगत कराया गया कि घायल हुए का विवरण निम्न प्रकार हैं-

- 01-विनोद कुमार पुत्र सँमुअल।
- 02-राजेश पुत्र सँमुअल।
- 03-रवि कुमार पुत्र सँमुअल।
- 04-मोनू उर्फ जसवन्त पुत्र कल्लू।
- 05-प्रमोद पुत्र सत्यवीर।
- 06-प्रवेश पुत्र देवन्द्र।
- 07-मैरीपाल पुत्री जैम्सपाल।
- 08-सोनू पुत्र चॉद।
- 09-लवीव पुत्र नासिर।

उक्त दुर्घटना में उपरोक्त व्यक्ति मौहल्ला सराय गुन्नौर के ही रहने वाले हैं और श्री साविर अली के पड़ोसी थे। श्री साविर अली यहां कार्य नहीं करते थे। उक्त घायल व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति श्रमिक/कर्मकार नहीं है, इसलिये कर्मकार अधिनियम-1923 के अन्तर्गत आवृत नहीं होते हैं (जांच आख्या संलग्न)।

उपरोक्त आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

सहायक श्रमायुक्त  
संभल।

पत्राक 63-65 /उक्त  
प्रतिलिपि-

दिनांक- 06/01/2024

1. उप जिलाधिकारी, गुन्नौर, संभल को सूचनार्थ।
2. उप जिलाधिकारी (न्यायिक), गुन्नौर, संभल को सूचनार्थ।

सहायक श्रमायुक्त,  
संभल।



कार्यालय उप जिलाधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट,  
गुन्नौर-सम्भल(उ०प्र०)

9454415834 ✉ sdmgunnaur@gmail.com

पत्रांक- 3029 / एस०टी० / 2023-24

दिनांक-06 जनवरी, 2024

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०),  
जनपद सम्भल।

महोदय,

कृपया, अपने पत्रांक-301/जि०आ०प्र०प्रा०/2023-24, दिनांक-05 जनवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत दिनांक-13-06-2023 को समय लगभग सायं 06 बजे मौ० सराय कस्बा गुन्नौर में स्थित शाबिर अली पुत्र श्री अमीर बख्श के मकान में रखे पटाखे/आतिशबाजी में आग लगने से हुए विस्फोट के कारण 04 मृतकों और 09 घायलों के सम्बन्ध में दो बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्कम में तहसीलदार, गुन्नौर व अवर अभियन्ता, लो०नि०वि०, गुन्नौर से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, गुन्नौर व अवर अभियन्ता, लो०नि०वि०, गुन्नौर द्वारा निम्न बिन्दुओं पर अपनी संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06-01-2024 उपलब्ध करायी गयी, जो निम्नवत् है-

1- प्रश्नगत घटना में मृतक तथा घायल व्यक्ति घटना स्थल पर किन कारणों से उपस्थित थे, यथा-वहाँ के निवासी थे, वहाँ कार्यरत थे, पड़ोसी थे अथवा अन्य कोई कारण हो तो?

आख्या:-प्रश्नगत घटना में मृतक और घायल व्यक्ति घटना स्थल के आसपास रहने/पड़ोसी होने के कारण उपस्थित थे। घटना स्थल पर कोई पंजीकृत/वैध कारखाना नहीं था। मृतक या घायल कोई घटना स्थल पर कार्यरत मजदूर नहीं था।

2- घटना स्थल के आसपास क्या कोई मकान, भवन तथा अन्य कोई क्षति हुई हो, उसके सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या।

आख्या:-घटना स्थल पर शाबिर अली का मकान गिरने से 100 प्रतिशत की क्षति हुई है। अन्य आसपास के मकानों में दरार आ गई है, जिसकी क्षति 15 प्रतिशत से कम है(फोटोग्राफ संलग्न)।

अतः तहसीलदार, गुन्नौर/अवर अभियन्ता, लो०नि०वि०, गुन्नौर की आख्या मूलरूप से संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

  
(रमेश बाबू)  
उप जिलाधिकारी, गुन्नौर  
जनपद-सम्भल।

प्रेषक,

प्रभु एन. सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त,

उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ: दिनांक:13/10/2022

विषय:- राज्य आपदा मोचक निधि (एस०डी०आर०एफ०) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि (एन०डी०आर०एफ०) से सहायता हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिये संशोधित मदों (आइटम) की सूची एवं मानकों की संशोधित दरों के अनुसार राहत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या 33-03/2020- एन०डी०एम-1 दिनांक 10.10.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि एवं राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि से सहायता हेतु संशोधित मदों की सूची एवं मानकों की संशोधित दरें निर्धारित की गयी हैं, जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी मानते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2. अतः गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 10.10.2022 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के उपरोक्त पत्र द्वारा निर्धारित मानक मदों एवं दरों के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

3. भारत सरकार का उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 10.10.2022 संलग्नकों सहित निम्न वेबलिंग पर उपलब्ध है:-

(1)www.rahat.up.nic

(2)https://ndmindia.mha.gov.in/images/litems%20and%20Norms%20of%20assistance%20from%20SDRF%20and%20NDRF%20dtd%2010%20Oct%202022.pdf

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(प्रभु एन. सिंह)

सचिव।

## Annexure

**REVISED LIST OF ITEMS AND NORMS OF ASSISTANCE FROM STATE DISASTER RESPONSE FUND (SDRF) AND NATIONAL DISASTER RESPONSE FUND (NDRF)**

(Period 2022-23 to 2025-26, MHA Letter No. 33-03/2020-NDM-I Dated 10.10.2022)

S.No.	Items	Norms of Assistance
<b>A</b>	<b>Response &amp; Relief [40% of State Disaster Risk Management Fund (SDRMF) i.e. equal to 50% of SDRF allocation for the year]</b>	
<b>1</b>	<b>Gratuitous Relief</b>	
	a) Ex-Gratia payment to families of deceased persons.	Rs. 4.00 lakh per deceased person, including those involved in the relief operations or associated in preparedness activities, subject to the certification regarding cause of death from the appropriate authority.
	b) Ex-Gratia payment for loss of a limb or eye(s).	Rs. 74,000/- per person, when the disability is between 40% and 60%.  Rs. 2.50 lakh per person, when the disability is more than 60%.  Subject to certification by a doctor from a hospital or dispensary of Government, regarding the extent and cause of disability.
	c) Grievous injury requiring hospitalization	Rs. 16,000/- per person requiring hospitalization for more than a week.  Rs. 5400/- per person requiring hospitalization for less than a week.  <b>Note:</b> Injured persons getting treatment under the 'Ayushman Bharat' Yojna, will not be eligible for relief under this item.
	d) Clothing and utensils/ household goods for families, whose houses have been washed away/ fully damaged/severely inundated for more than two days due to a natural calamity.	Rs. 2,500/- per family, for the loss of clothing.  Rs.2,500/- per family, for loss of utensils/ household goods.
	e) Gratuitous relief for families whose livelihood is seriously affected.	Gratuitous Relief (GR) for families, whose livelihood is seriously affected will be provided to two adults members of the affected family as per actual rate of MNREGA per day or average rate of all States/UTs per day, whichever is lower. For this purpose, notification issued by Ministry of Rural Development from time to time, is to be referred for calculating average rate. The relief amount should be disbursed

	assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme.)	Rs. 4,000/- for replacement of fully damaged net  (Assistance under this item will be adjusted to the extent of insurance claim, if any, received by the fisherman, under any insurance scheme, for the instant calamity).
	ii) Input subsidy for fish seed farm to Small and Marginal Farmers	Rs. 10,000/- per hectare.  This assistance will not be provided if the beneficiary is eligible or has availed of any subsidy/ assistance, for the instant calamity, under any other Government Scheme, except the one time subsidy provided under the Scheme of Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying.
<b>8</b>	<b>Handicrafts/Handloom – Assistance To Artisans</b>	
	i) For replacement of damaged main functional tools/ equipments	Rs. 5,000/- per artisan for equipments.  Subject to certification by the competent authority designated by the Government about damage and its replacement.
	ii) For loss of raw material/ goods in process/ finished goods	Rs. 5,000/- per artisan for raw material.  Subject to certification by Competent Authority designated by the State Government about loss and its replacement.
<b>9</b>	<b>Locust Control</b>	
	Hiring of vehicles, tractors, with spray equipments for spraying of plant protection chemicals for pest control, hiring of water tankers and purchase of plant protection chemicals for locust control.	As per the actual cost, based on the assessment of need by the SEC and recommended by the Central Team (in case of NDRF).  The quantum of assistance will be limited to the actual expenditure incurred on hiring vehicles, tractors with spray equipments for spraying of plant protection chemicals for locust control during locust attack. However, expenditure on this account, in no case, should exceed 25% of SDRF allocation under this window (Response & Relief) for the year.
<b>B.</b>	<b>Recovery &amp; Reconstruction: (30% Of SDRMF i.e. equal to 37.50% of SDRF allocation for the year)</b>	
<b>10</b>	<b>Housing</b>	
	a) Fully damaged/ destroyed houses and severely damaged houses	

*D. J. K.*

	i) Pucca house ii) Kutcha House	Rs. 1,20,000/- per house, in plain areas., Rs. 1,30,000/- per house, in hilly areas.
	<b>b) Partially Damaged Houses (Other than huts) where the damage is at least 15%</b> i) Pucca house ii) Kutcha House	Rs. 65,00/- per house Rs. 4,000/- per house,
	<b>c) Damaged/ destroyed huts:</b>	Rs. 8,000/- per hut,  (Hut means temporary, make shift unit, inferior to Kutcha house, made of thatch, mud, plastic sheets etc. traditionally recognized as hut by the State/ District authorities.)  Note: The damaged house/hut should be an authorized construction, duly certified by the Competent Authority of the State Government.
	e) Cattle shed attached with house	Rs. 3,000/- per shed,
<b>11</b>	<b>Infrastructure</b> [Repair/restoration(of immediate nature) of damaged infrastructure]	
	<b>(1) Roads &amp; bridges, which may include the following activities:</b>  i) Filling up of breaches and potholes, use of pipe for creating waterways, repair and stone pitching of embankments. ii) Repair of breached culverts. iii) Providing diversions to damaged/washed out portions of bridges to restore immediate connectivity. iv) Temporary repair of approaches to bridges/embankments of bridges, repair of damaged railing bridges, repair of causeways to restore immediate connectivity, granular sub base, over damaged stretch of roads to restore traffic.	Assessment of requirements: Based on the assessment of need, as per States' notified schedule of rates for repairs, by SEC and recommendation of the Central Team (in case of NDRF).  In case of repair of roads, assistance will be given based on the notified Ordinary Repair (OR) and Periodical Renewal (PR) of the State. In case OR & PR is not available, then assistance will be provided as per rate prescribed in this item. However, in any case, the assistance will be provided at the rate whichever is lower.  Prescribed rate are as under:-  > Repairs of State Highways /Major District Roads(MDR) - in normal areas -- @ Rs. 1.0 lakh /km ; - in hilly areas -- @ Rs. 1.25 lakh /km ;  > Repairs of Rural/village Roads with culverts - in normal areas -- @ Rs. 60,000/- km ; - in hilly areas -- @ Rs. 75,000 / km ;  > Repairs of RCC Culvert/Bridge - in normal areas -- @ Rs 60,000 per culvert; - in hilly areas -- @ Rs 75,000/- per culvert.

कार्यालय जिलाधिकारी, सम्भल (बहजोई)।

संख्या:- 302 /जि0आ0प्र0प्रा0/2023-24

दिनांक:- 5 जनवरी, 2024

1-मुख्य चिकित्साधिकारी, जनपद-सम्भल।

2-उप जिलाधिकारी, गुन्नौर।

कृपया अवगत कराना है कि तहसीलदार गुन्नौर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या-1258/रा0नि0कार्या0/2023-24 दिनांक-14 जून, 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि "दिनांक-13.06.2023 को समय लगभग सायं 06 बजे मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर में स्थित शाबिर अली पुत्र श्री अमीर बख्श के मकान में रखे पटाखे/आतिशबाजी में आग लगने से विस्फोट हो गया। धमाके में शाबिर अली का पूरा मकान गिर गया तथा आस-पास के कुछ मकानों में दरारें आ गई हैं। उक्त घटना में 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 09 व्यक्ति घायल हुए हैं।"

तहसीलदार गुन्नौर द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त आख्या के अनुसार उक्त घटना में निम्न व्यक्ति घायल हुए थे:-

क्र0सं0	घायल व्यक्ति का विवरण
1	विनोद कुमार पुत्र सैमुअल
2	राजेश कुमार पुत्र सैमुअल
3	रवि कुमार पुत्र सैमुअल
4	मोनु उर्फ जसवन्त पुत्र कल्लू
5	प्रमोद पुत्र सत्यवीर
6	प्रवेश पुत्र देवेन्द्र
7	मैरी पॉल पुत्री जैम्स पॉल
8	सानू पुत्र चाँद
9	लवीव पुत्र नासिर

उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय सम्भल द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आख्या चाही गयी है, जिसके क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है, कि प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर अपनी संयुक्त हस्ताक्षरित आख्या लौटती डाक से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें:-

- 1-घायल व्यक्तियों की चोटें किस श्रेणी की थीं?
- 2-घायल व्यक्ति कितने दिन स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती रहे?
- 3-क्या इस घटना से कोई व्यक्ति दिव्यांग हुआ है या घायल व्यक्ति के किसी अंग की पूर्ण क्षति हुई है?
- 4-समस्त घायलों की चिकित्सीय आख्या (Medical Report) उपलब्ध करायें

  
प्रभारी अधिकारी (आपदा)/  
डिप्टी-कलेक्टर,  
जनपद-सम्भल।

Blast injury date 13-06-2023 Mohalla saray Gunnaur

Sr.No.	Name And Add	Age	Sex	Disease	Remark	Admit	Injury Type
1	Vinod Kumar s/o Samual	50	M	Blast/Burn Injury	Distt. Hospital	Distt. H. Sambhal 2 days Panna lal H. 5 days	Normal
2	Rajesh s/o Samual	45	M	Blast/Burn Injury	Refer to JNMC Aligarh	JNMC Aligarh 1 day Mannat 7 days	Serious
3	Ravi Kumar s/o Samual	35	M	Blast/Burn Injury	Distt. Hospital Sambhal	Distt. H. 2 days Panna lal H. 5 days	Serious
4	Monu Urf Jaswant s/o Kullu	06	M	Blast/Burn Injury	Refer to Aligarh	JNMC Aligarh 15 days	Serious
5	Pramod s/o Satyaveer	30	M	Blast/Burn Injury	Not refer	-	Normal
6	Pravesh s/o Devendra	15	M	Blast/Burn Injury	Not refer	-	Normal
7	Mery Paul d/o James Paul	27	F	Blast/Burn Injury	Distt. Hospital	Distt. Hospital 2 days	Normal
8	Sanu s/o Chand	28	M	Blast/Burn Injury	Refer to Higher Center	GTB 3 days URBAN 3 days AIIMS 15 days	Serious
9	Labib s/o Nasir	45	M	Blast/Burn Injury	Not refer	-	Normal

मुख्य चिकित्साधिकारी  
सम्भल

मुख्य चिकित्साधिकारी  
सा10स्वा0केन्द्र गुन्नौर

तहसीलदार  
गुन्नौर

नायब तहसीलदार  
गुन्नौर



कार्यालय उप जिलाधिकारी / उप जिला मजिस्ट्रेट,  
गुन्नौर-सम्भल(उ०प्र०)

9454415834 ✉ sdmgunnaur@gmail.com

पत्रांक-3030 / एस०टी० / 2023-24

दिनांक-06 जनवरी, 2024

अपर जिलाधिकारी(वि०/रा०),  
जनपद सम्भल।

महोदय,

कृपया, अपने पत्रांक-302/जि०आ०प्र०प्रा०/2023-24, दिनांक-05 जनवरी, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत दिनांक-13-06-2023 को समय लगभग सायं 06 बजे मौ० सराय कस्बा गुन्नौर में स्थित शाबिर अली पुत्र श्री अमीर बख्श के मकान में रखे पटाखे/आतिशबाजी में आग लगने से हुए विस्फोट के कारण 09 घायलों के सम्बन्ध में 04 बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्क्रम में तहसीलदार, गुन्नौर से आख्या प्राप्त की गयी। तहसीलदार, गुन्नौर द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक-06-01-2024 के अनुसार स्थलीय जांच, बयान/पूछताछ व घायल-व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है-

क्र० सं०	घायल व्यक्ति का विवरण	चोट की श्रेणी	स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती के दिवस	दिव्यांग/अंग की पूर्ण क्षति प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	विनोद कुमार पुत्र सेमुअल	Blast/Burn Injury	07 दिन	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
2	राजेश कुमार पुत्र सेमुअल	Blast/Burn Injury	08 दिन	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
3	रवि कुमार पुत्र सेमुअल	Blast/Burn Injury	07 दिन	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
4	मोनू उर्फ जसवंत पुत्र कल्लू	Blast/Burn Injury	15 दिन	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
5	प्रमोद पुत्र सत्यवीर	Blast/Burn Injury	-	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
6	प्रवेश पुत्री देवेन्द्र	Blast/Burn Injury	-	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
7	मेरीपोल पुत्री जैम्सपॉल	Blast/Burn Injury	02 दिन	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
8	शानू पुत्र चाँद	Blast/Burn Injury	21 दिन	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
9	लवीव पुत्र नसीर	Blast/Burn Injury	-	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-

अतः तहसीलदार, गुन्नौर की आख्या मूलरूप से संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित है।  
संलग्नक-यथोपरि।

06/01/24  
रमेश कुमार सिंह  
सि.कि.सा. अधीक्षक  
सामु.क्या० केन्द्र गुन्नौर  
जनपद- सम्भल

(रमेश बाबू)  
उप जिलाधिकारी, गुन्नौर  
जनपद-सम्भल।

कृपया जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र सं०-302/जि०आ०प्र०प्रा०/2023-24, दिनांक-05 जनवरी, 2024 का ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत दिनांक-13-06-2023 को समय लगभग सायं 06 बजे मौ० सराय कस्बा में स्थित शाबिर अली पुत्र श्री अमीर बख्श के मकान में रखे पटाखे/आतिशवाजी में आग लगने से हुए विस्फोट के कारण 09 घायलों के सम्बन्ध में 04 बिन्दुओं पर आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

तत्काल में स्थलीय जांच, बयान/पूछताछ व घायल व्यक्तियों द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के आधार पर बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है-

क्र० सं०	घायल व्यक्ति का विवरण	चोट की श्रेणी	स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती के दिवस	दिव्यांग/अंग की पूर्ण क्षति प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	विनोद कुमार पुत्र सेमुअल	Blast/Burn Injury	07 दिन	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
2	राजेश कुमार पुत्र सेमुअल	Blast/Burn Injury	08 दिन	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
3	रवि कुमार पुत्र सेमुअल	Blast/Burn Injury	07 दिन	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
4	मोनू उर्फ जसवंत पुत्र कल्लू	Blast/Burn Injury	15 दिन	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
5	प्रमोद पुत्र सत्यवीर	Blast/Burn Injury	-	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
6	प्रवेश पुत्री देवेन्द्र	Blast/Burn Injury	-	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
7	मैरीपॉल पुत्री जैम्सपॉल	Blast/Burn Injury	02 दिन	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
8	शानू पुत्र चाँद	Blast/Burn Injury	21 दिन	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-
9	लबीव पुत्र नसीर	Blast/Burn Injury	-	विकलांगता की श्रेणी में नहीं आता है।	-

आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

06.7.2024  
N.T.(4)

06/01/24  
Teh (4)

व्यान मोनू उर्फ असवत पुत्र कल्लू नि० मॉ० सराप कस्वा क तहसील  
 गुन्नार व्यान करता हू कि दिनांक 13/06/2023 को मेरे पड़ोसी  
 साकिर के मकान मे अचानक प्रिस्मोट खेने के कारण मेरे सिर  
 मे गम्भीर चोट लगी थी मेडिकल हॉस्पिटल अर्वागव मे 12 दिन भर्ती  
 रहा। मेरे इलाज मे लगभग 2 लाख रकम खर्च हुए थे और मेरी  
 पुर्ण काम की मल्यु ही गई। व्यान पककर तहसील लिखा।



Sumit  
 06/11/24 ले०

N.T

हम विनोद कुमार व राजेश कुमार अग्रवाल से मुझ व मेरी फ्रेंड उषा  
 जैम्य पॉल निवासी गौ. खराप गुनौर व हल्ड वपान करते हैं डि  
 दिनांक 18/06/2023 को जगिद के मकान में अग्रवाल विलेहेर केने  
 के कारण राजेश अग्र सेतकब के धप, पैर, चिरे वया धप में  
 गम्भीर चोटें लगी थी नैय स्वयं मन्तत अल्पविल भलीगि. से  
 स्वयं चल स्य है विनोद अग्र सेतकब के उलहे पैर में फ्रैक्चर  
 कम वया धप में व चिरे में गम्भीर चोटें लगी थी। मेरी  
 पॉल अग्र जैम्य पॉल न्येष्ट वया धपके एवं धप में ठुम चोट  
 लगी थी। हम तीनों का स्वयं पन्नावाल अग्रवाल व  
 मन्तत अल्पविल भलीगि. में हुआ था। वपान पढ़के वपकीडु

डिया।

Rajesh Samraj  
6/01/2024

अग्रवाल  
06/01/2024

U  
N.T.

M. J. J.

6/1/2024

विनोद

धनि श्री. शानु पुत्र मोद लाल विवाही श्री. पलाय लाल  
 गुनौर बख्त लाल लाला हैं कि दिनांक 13-06-2023  
 को गुनौर ने पति पालक दिल्ली कांड में मुझे  
 रिट में मोद मोद लाल की पिछले कांड मुझे अर्जा  
 मालमाल गुनौर के ए.टी.बी दिल्ली को टेलर रिट  
 जमा तथा ए.टी.बी दिल्ली से मौलाना आजाद व अलवर  
 हाथीका में रिट किया इसके बाद Aims दिल्ली  
 को रिट किया गया पर मुझे दो एफिले के  
 पचास रुसिद करा गया, और अलवर की प्रेस  
 मालाज चल रहा है) इमल पटना में मेरा आज तक  
 इलाज के 10 लाख रुपया लगभग खर्च हो चुका  
 है - मेरी मदद / खर्चारी राहायता दिलाने का  
 काम पालक गुनौर लक्ष्मी लाल शाल

06.1.24

N.P.

3761598166

~~व्यक्त प्रमोद कुमार सो भी जलपान शर्मा निवासी गु-नौ~~  
~~दौलत का बंधन व्यक्त कला हुँ छे दिनांक 13-6-2023~~  
~~कला गु-नौ में करिय पलायन विद्योत मॉड में रुझ~~  
~~रिज मॉड पीठ मॉड कंचे ने पाठ पापी सुरत 24-मल~~  
~~ने विम सामुदायिक के-ड गु-नौ में नहीं कपय किये~~  
~~वास गु-नौ के जिला जलपान जलपान के रजल~~  
~~मिया गया जस यसे 02 दिन नहीं लगायत~~  
~~जिये वास युद्धी पारवली ने जलपान में गु-नौ~~  
~~ने प्राविपेट सरकार के मध्य इलाय जलपान जलपान~~  
~~जलपान में नहीं रहने के नोडि जगज की विमो जपे~~  
~~येसे इलाय में 50 हजार रुपये रकम दे जसे भी~~  
~~राशकाली राशकाली / नरस दिलायी जसे~~  
~~व्यक्त पकल पुनकल लकडी विम~~

Yance

7818973672

06-1-24  
वेदायत

by N.S.

ज्ञान जी रवि सैनुबल पुग जार्ज एच सैनुबल सिवाजी मों  
 शराय कल्ल गुराँर खडक्य ह्यात कला हँ  
 कि दिनांक 13-06-2023 को कल्ल गुराँर मे चलि  
 पटाव्य विस्फोट कोड मे गुगु कुल्ले मे चोट आधी  
 पिछा नाच्य मे आज तक चलने पिछे मे जमक्य हँ  
 विस्फोट मे बाद चोट लगने पठ जिला अस्पताल को  
 साधुदायिक केन्द्र गुराँर मे ट्रेजट मिथे मफे पठ  
 जिला अस्पताल जमशर मे 03 दिन जमी रहने के बाद  
 पन्नालाल हास्पिटल अलीगढ़ मे अपना उपचार कराना  
 पिलने कि मेरा आज तक कुल्ले का इलाज चल  
 रह हँ मे आज तक चलने पिछे मे अलमर्क हँ  
 तथा वाक की लक्षणो मे चल पावा हँ अस्पतालमे  
 रखल रहने के छोटे पाज कोरि कागज नही  
 हँ मेरा अभी तक मेरे इलाज मे मेरा 3.5 लाख  
 मसफा खर्च हो चुक्य हँ, मेरी आर्थिक राइट  
 दुपनीय हँ मुझे इलाज का पैसा दिलाया  
 जाये आकाशी जहाजो दिलाई जाये  
 जयान पकक युनकल वल्लीग मिथ

रवि सैनुबल

M.N. 8006940526

06-1-24

N.T.

वपान लकीव जुग नापिए अली नि मोठ सरप फांचा व तहसील  
 गुन्ौर नठळ्य वपान करता हूँ डि दिनांक 12/06/23 को मेरे घड़ेकी  
 खापिए उे मकान मे मयानउ निच्छेर धेने उे काय मेरे निर वषा  
 कान एवं नाक मे गरमीर जोर भापी नाउ की वडडी इल नई थी।  
 महयज धान्पीरहा कलीगठ मे 2 दिन भरी रथ। मेरे सलाज मे  
 लंगका 45 हजार रुपये व्यय हुए मे। वपान पदक वन्दीक विंग



06-01-2024

Mohd Sameer

06-01-24

8979189808

  
 06-1-24

  
 N.T.

## आदेश

कस्वा ग. नौर मौ० सराय तहसील गुन्नौर जनपद सम्भल में पटाखे के गोदाम में आग लग जाने के कारण रविकुमार व राजेशकुमार व विनोदकुमार पुत्रगण जोर्च एच-सेमुअल व मैरी पॉल पुत्री जैम्स पॉल व मोनू उर्फ जसवन्त पुत्र श्री कुल्लू व शानू पुत्र चॉद की उक्त घटना में मकानों की दीवारें गिरने के कारण घायल हो गये थे, घायलों को सामुदायिक केन्द्र गुन्नौर पर प्राथमिक उपचार कराया गया, जहाँ पर उक्त सामुदायिक केन्द्र गुन्नौर द्वारा उक्त घायलों को जिला अस्पताल सम्भल में रेफर किया गया, जिसके बाद उक्त घायल रविकुमार पुत्र जोर्च एच-सेमुअल को पन्नालाल हॉस्पिटल अलीगढ व राजेशकुमार पुत्र जोर्च एच-सेमुअल को मन्नत हॉस्पिटल अलीगढ व विनोदकुमार पुत्र जोर्च एच-सेमुअल का पन्नालाल हॉस्पिटल अलीगढ व मोनू उर्फ जसवन्त पुत्र श्री कुल्लू को जे०एन०एम०सी० अलीगढ व शानू पुत्र चॉद को अर्बन अस्पताल, दिल्ली में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। जहाँ पर उक्त घायलों का इलाज कराया गया, यह घटना माननीय राहत आयुक्त महोदय, उ०प० के पत्रांक संख्या- 4807/रा०आ०का०/2023-24 के क्रम में सभी प्रकार के अग्नि काण्ड (गैस सिलेण्डर फटने/ फैंट्री में आग। ज्ञात अथवा अज्ञात कारण से दुर्घटनावश अन्य कारणों से लगने वाली आग या किसी भी स्थान में लगने वाली आग से होने वाली जन हानि (हत्या या आत्म हत्या को छोड़कर) के सांपेक्ष राज्य आपदा मोचक निधि के मानकों के अनुरूप पीडित परिवार को राहत सहायता प्रदान की जायेगी। जनहानि की दशा में आवासीय या अनावासीय क्षेत्र में विवाद न करते हुये, मृतक के परिवार को अहैतुक सहायता प्रदान की जायेगी। उक्त के क्रम में मौ० सराय कस्वा गुन्नौर तहसील गुन्नौर में हुई घटना दैवी आपदा के अन्तर्गत आती है।

उक्त घटना नवीनतम शासनादेश [अविधि 2022-23 से 2025-26, गृह मंत्रालय का दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 की पत्र संख्या 33-03-020- एनडीएम-1 (खंड-ii)] के अन्तर्गत क्रम संख्या 1 मद आनुयाहिक राहत के खण्ड (क) मृतकों के परिवारों को अनुगृह राशि का भुगतान। सहायता के मानदंड के अन्तर्गत प्रत्येक मृतक के लिए 4.00 लाख रुपये। इसमें वे भी शामिल हैं, जो राहत अभिरक्षण में शामिल हैं, अथवा तैयार सम्बन्धी कार्य कलापों से संबद्ध हैं। यह उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण सम्बन्धी प्रमाण के अधीन है। राज्य आपदा मोचक निधि की मानक एवं दरों के क्रम 0 में प्रस्तर-1(क) के अन्तर्गत मानव मृत्यु होने की दशा में मृतकों के परिवार को अनुग्रह सहायता रुपये अंकन 400000/(चार लाख रू०मात्र) देय है।

शासनादेश संख्या-जी आई-244(1)/1-11-2012, राजस्व अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 12 जून 2012 के प्रस्तर-3 में उल्लेखित है, कि राज्य आपदा मोचक निधि से राहत सहायता की स्वीकृति 20000/(बीस हजार रू०) तहसीलद्वारा, रुपये 30000/(तीस हजार रू०मात्र) तक उपजिलाधिकारी द्वारा तथा 30000/(तीस हजार रू०मात्र) से अधिक की स्वीकृति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी तथा मानव मृत्यु की दशा में स्वीकृति परगनाधिकारी (उपजिलाधिकारी) स्तर से प्रदान की जायेगी।

अतः उक्त रविकुमार व राजेशकुमार व विनोदकुमार पुत्रगण जोर्च एच-सेमुअल व मैरी पॉल पुत्री जैम्स पॉल व मोनू उर्फ जसवन्त पुत्र श्री कुल्लू व शानू पुत्र चॉद घायलों को निम्न तालिका में अंकित विवरण के अनुसार ई० पमेन्ट के माध्यम से अनुग्रह सहायता राशि प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

क्रम संख्या	घायल का नाम	घायल का नाम/ पिता का नाम/ निवास स्थान	खाता संख्या	आई एफ एस सी कोड	बैंक का नाम	स्वीकृत धनराशि
1	रवि कुमार	रविकुमार पुत्र जोर्च एच-सेमुअल निवासी मौ० सराय कस्वा गुन्नौर	35630100012538	BARBOGUNNA U	बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गुन्नौर	16,000/00 (सोलह हजार रू० मात्र)
2	राजेशकुमार	राजेशकुमार पुत्र जोर्च एच-सेमुअल निवासी मौ० सराय कस्वा गुन्नौर	31889694257	SBIN0002689	स्टैंड बैंक गुन्नौर	16,000/00 (सोलह हजार रू० मात्र)
3	विनोदकुमार	विनोदकुमार पुत्र जोर्च एच-सेमुअल निवासी मौ० सराय कस्वा गुन्नौर	93332250001595	SYNB0009333	सिडीकैट बैंक गुन्नौर	16,000/00 (सोलह हजार रू० मात्र) ख रू० मात्र)
4	मैरी पॉल	मैरी पॉल पुत्री जैम्स पॉल निवासी मौ० सराय कस्वा गुन्नौर	93332200026776	SYNB0009333	सिडीकैट बैंक गुन्नौर	16,000/00 (सोलह हजार रू० मात्र)
5	मोनू उर्फ जसवन्त	मोनू उर्फ जसवन्त पुत्र श्री कुल्लू निवासी मौ० सराय कस्वा गुन्नौर	0669001700079548	PUNB0066900	पंजाब नेशनल बैंक गुन्नौर	5400/00 (पाँच हजार चार सौ रू० मात्र)
6	शानू	शानू पुत्र चॉद निवासी मौ० सराय कस्वा गुन्नौर	110044800825	CNRB0019333	कैनरा बैंक शाखा गुन्नौर	16,000/00 (सोलह हजार रू० मात्र)
योग						85400/00 पच्चासी हजार चार सौ रू० मात्र

(रमेश बाबू)

उपजिलाधिकारी-गुन्नौर।

जनपद-सम्भल

कार्यालय उपजिलाधिकारी गुन्नौर, जनपद सम्भल।

/रा.नि.का०(कार्या)/दौ आ०/2023-24

दिनांक: 9 जनवरी 2024

पत्रांक: 1750  
प्रतिलिपि :- निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- उपजिलाधिकारी महोदय सम्भल को सूचनार्थ प्रेषित।

2- उपजिलाधिकारी सम्भल को सूचनार्थ प्रेषित।

3- प्रभारी अधिकारी ( विल्स) सम्भल

उपजिलाधिकारी-गुन्नौर।  
जनपद-सम्भल

## कार्यालय जिलाधिकारी, सम्भल (बहजोई)।

संख्या:- 301 /जि0आ0प्र0प्रा0/2023-24  
उप जिलाधिकारी,  
गुन्नौर।

दिनांक:- 05 जनवरी, 2024


कृपया अवगत कराना है कि तहसीलदार गुन्नौर द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या-1258/रा0नि0कार्या0/2023-24 दिनांक-14 जून, 2023 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि "दिनांक-13.06.2023 को समय लगभग सायं 06 बजे मौ0 सराय कस्बा गुन्नौर में स्थित शाबिर अली पुत्र श्री अमीर बख्श के मकान में रखे पटाखे/आतिशबाजी में आग लगने से विस्फोट हो गया। धमाके में शाबिर अली का पूरा मकान गिर गया तथा आस-पास के कुछ मकानों में दरारें आ गई हैं। उक्त घटना में 04 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है तथा 09 व्यक्ति घायल हुए हैं।"

तहसीलदार गुन्नौर द्वारा उपलब्ध करायी गयी उपरोक्त आख्या के अनुसार उक्त घटना में निम्न व्यक्ति घायल हुए थे:-

क्र०सं०	घायल व्यक्ति का विवरण
1	विनोद कुमार पुत्र सैमुअल
2	राजेश कुमार पुत्र सैमुअल
3	रवि कुमार पुत्र सैमुअल
4	मोनु उर्फ जसवन्त पुत्र कल्लू
5	प्रमोद पुत्र सत्यवीर
6	प्रवेश पुत्र देवेन्द्र
7	मैरी पॉल पुत्री जैम्स पॉल
8	सानू पुत्र चाँद
9	लवीव पुत्र नासिर

उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय सम्भल द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आख्या चाही गयी है, जिसके क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है, कि प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं पर अपनी आख्या लौटती ङ क्र से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें:-

- 1- प्रश्नगत घटना में मृतक तथा घायल व्यक्ति घटना स्थल पर किन कारणों से उपस्थित थे, यथा- वहाँ के निवासी थे, वहाँ कार्यरत थे, पड़ोसी थे अथवा अन्य कोई कारण हो तो?
- 2- घटना स्थल के आस-पास क्या कोई मकान, भवन तथा अन्य कोई क्षति हुई हो, उसके सम्बन्ध में स्पष्ट आख्या।

  
(प्रदीप वर्मा)

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),

जनपद-सम्भल।

प्रेषक,

जिलाधिकारी  
सम्भल।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
राजस्व अनुभाग-10,  
लखनऊ।

संख्या:- 295/जि0आ0प्र0प्रा0

दिनांक:- 2 जनवरी, 2024

विषय:- मार्गदर्शन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक पत्र संख्या-271/जि0आ0प्र0प्रा0/2023-24 दिनांक-02 दिसम्बर, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस पत्र के द्वारा दिनांक-13.06.2023 को मोहल्ला सराय, कस्बा व तहसील-गुन्नौर, जनपद-सम्भल में पटाखे के गोदाम में आग लगने की घटना में अभियुक्त शाबिर अली के परिजन मृतक गुड्डो पत्नी शाबिर अली व मृतक अनम पुत्री शाबिर अली को, शाबिर अली के अभियुक्त होने की दशा में उनके परिजनों को अहेतुक सहायता राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

महोदय उक्त के सम्बन्ध में अभी तक कोई मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में एक वाद लम्बित है, जिसमें अग्रिम सुनवाई हेतु 22.01.2024 नियत है। इस नियत तिथि को मृतकों को अहेतुक राशि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जानी है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि पूर्व में प्रेषित उक्त पत्र संख्या-271/जि0आ0प्र0प्रा0/2023-24 दिनांक-02 दिसम्बर, 2023 के क्रम में वांछित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,



(प्रदीप वर्मा)


अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)

जनपद-सम्भल। M

संख्या एवं दिनांक:- उपरोक्त।

प्रतिलिपि:-

- 1- राहत आयुक्त महोदय, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
- 2- विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, राजस्व अनुभाग-10, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।



अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)

जनपद-सम्भल। M